5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES CANCELLED CANCELLED

266

13

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0•

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक -------/ 11-12 R-2150-II/12

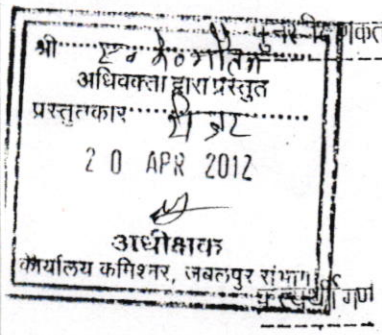

श्री ... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतकार ... 20 APR 2012 अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

पुनरीक्षणकर्ता : प्रेमलाल पिता भूरा साहू जाति तेली, उम्र लगभग 75 वर्ष निवासी शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी म0प्र0

विरुद्ध

151

क्रमांक 1445 रजिस्टर्ड पोस्ट (डाक) आज दिनांक ... को प्राप्त क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रत्यर्थीगण :

1• म0प्र0 शासन
2• शान पिता प्रेमलाल साहू
3• सुरेन्द्र पिता प्रेमलाल साहू
4• शकुन पिता प्रेमलाल साहू
5• चंदन पिता प्रेमलाल साहू

सभी निवासी शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी म0प्र0•

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भूराजस्व संहिता 1959•

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण याचिका अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल द्वारा प्रकरण क्र• 232/अपील/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 13•1•12 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों के तहत प्रस्तुत करता है कि :--

COMMISSIONER JABALPUR

|| प्रकरण के तथ्य ||

1• यह कि, पुनरीक्षणकर्ता शहपुरा ग तहसील शहपुरा जिला डिण्डोरी का स्थायी निवासी है ।

2• यह कि, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा ग्राम शहपुरा प0ह0नं0 19 नं0बं0 433, रा0नि0मं0 शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी स्थित भूमि खसरा

2••

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2050–एक/12

जिला – डिण्डोरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-9-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल के प्रकरण कमांक 232/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 13–1–12 के विरूद्ध पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अनावेदक कमांक 2 की नाबालिग अवस्था में पंजीयत विकयपत्र के माध्यम से प्रश्नाधीन भूमि कय कर राजस्व अभिलेखों में नामांतरण कराया । बाद में इस आधार पर कि उनका इस भूमि पर अधिकार है, आवेदक ने प्रश्नाधीन भूमि पर अपना एवं अपनी पुत्रियों के नाम दर्ज कराने हेतु तहसीलदार शहपुरा के समक्ष आवेदन दिया जो तहसीलदार द्वारा मान्य किया गया । इस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील एस.डी.ओ. के समक्ष की जो उन्होंने अवधि बाह्य मानकर निरस्त की । द्वितीय अपील आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की हे । आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किये गये हैं । 3/ अनावेदकों की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । बाद में	

निग.. 2050-1/12 (उज्जैन)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अनावेदक कमांक 2 एवं 3 की ओर से लिखित बहस पेश की गई है । लिखित बहस में मुख्य आधार यह लिया गया है कि आलोच्य भूमि उन्हें विकयपत्र से प्राप्त हुई है । संहिता में भूमिस्वामी के साथ अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है । अतः अपर आयुक्त का जो आदेश है वह उचित है जिसे स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त की जाये । 3/ दानों पक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण नामांतरण के संबंध में है । आलोच्य भूमि को अपने और पुत्रियों के नाम दर्ज कराने के लिए तहसीलदार ने आवेदन दिया जो मान्य किया गया । इसके विरूद्ध प्रथम अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त की गई । जिसके विरूद्ध यह आलोच्य आदेश पारित किया गया है । आयुक्त ने अपने आदेश मे स्पष्ट किया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश पारित करते समय इस तथ्य को अनदेखा किया है कि तहसीलदार द्वारा जब आदेश पारित किया गया उस समय केवल आवेदक प्रेमलाल उपस्थित था । इससे स्वाभाविक है कि अनावेदक कमांक 1 को आदेश की जानकाहरी नहीं थी और इस कारण उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील को विलंब से प्रस्तुत मानकर निरसत करना अवैधानिक मान है । उनके इस आदेश में कोई त्रुटि नहीं है । जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रश्न है आयुक्त का यह निष्कर्ष विधिसम्मत है कि प्रमाणिक दस्तावेजी साक्ष्य के सामने मौखिक साक्ष्य	

XXXIX(a)BR(H)-11 -4-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

———

प्रकरण कमांक – निग0 2050–एक / 12 जिला – डिण्डोरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	को महत्व नहीं दिया जा सकता और पंजीकृत विक्रयपत्र की अनदेख कर मौखिक साक्ष्य के आधार पर नाम दर्ज करने में तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है क्योंकि विक्रयपत्र की विधिमान्यता की जांच राजस्व न्यायालय नहीं कर सकते । उक्त आधार पर उन्होंने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर अनावेदक कमांक 1 का नाम राजस्व अभिलेखों मेंदर्ज करने का जो आदेश दिया है वह विधिसम्मत, न्यायपूर्ण तथा औचित्य सहित है । और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हों । सदस्य	